राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	1608/2025 **शिवराम बनाम आचूकी देवी** **हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 23/02/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
23/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 12/08/2025 पारित करते हुये माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के पत्र क्रमांक रा.म./न्याय/प-5/2008/विविध/10546 दिनांक 05/10/2020 में दिये गये निर्देशानुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार दोनों पक्षों को सूचित करते हुये कृषि भूमि खाता संख्या 137 के खसरा नम्बर 222 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 224 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 225 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 226 रकबा 0.5100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 227 रकबा 0.5100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 228 रकबा 0.5100 हैक्टेयर वाके ग्राम चिलपली पटवार हल्का बहरोड़ तहसील आंधी जिला जयपुर में स्थित है का वादिया एवं प्रतिवादीगण के मध्य दोनों पक्षों को सूचित करते हुये उनकी मौजूदगी में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व कब्जे अनुसार सरस-नरस के आधार पर रास्ते को मध्य नजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 12/08/2025 के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता रेस्पो. द्वारा अपीलार्थी को जवाब का एक मात्र अवसर प्रदान करते हुये जवाब अनुसार प्राथमिक डिक्री में संशोधन करने एवं दोनों पक्षो को इस हेतु दिनांक 16/03/2025 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश प्रदान करते हुये अपील को निस्तारित किये जाने का निवेदन किया, जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने भी सहमति जाहिर की है। अत: प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थी का दिनांक 16/03/2026 को जवाब लेकर प्राप्त जवाब अनुसार प्राथमिक निर्णय व डिक्री में संशोधन का आदेश पारित करे। उभयपक्ष को जरिये अधिवक्ता यह निर्देश दिये जाते है कि वे इस न्यायलय की अनुपालना राजस्व अपील प्राधिकारी	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

शिवराम बनाम आचूकी देवी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	में अग्रिम कार्यवाही में भाग लेने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 16/03/2026 को उपस्थित होंवे। तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	